17.5.18

1/18

पत्रावली निर्णय करने हेतु 20/8
अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत
मुरलीपुरा सांगरिया पर पेश
हुई। प्रतिवादीगण की ओर
से पत्रावली में समझौता
आदेश पारित हो चुका है
वादपत्र में वादी का
हस्ताक्षर पेश हुआ। वादी
की ओर से धारा 53 CPC
की दावे विड्रो करने हेतु
प्रा. पत्र पेश किया जो
स्वीकार किया जाता है
वादी का वाद खारिज
करते डिक्री किया जाता
है डिक्री पत्रावली पृथक है।
पत्रावली मैसल सुमार होकर
नस्ती से कार्य हो।

11/5/18

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official